IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI
FORM OF ORDER SHEET
जमाबंदी सुधार रिविजन वाद सं0–07 / 2015
कमरूद्दीन मियाँ
बनाम
इनो साह वगैरह

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	09.09.2016	आदेश यह पुनरीक्षण वाद पुनरीक्षणकर्ता कमरूद्दीन मियाँ पिता–स्व0 नासीर हुसैन ग्राम–तिलवारिया थाना–सोनो जिला–जमुई के द्वारा निम्न न्यायालय उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के जमाबंदी सुधार वाद सं0–15 / 2011–12 मो0 कमरूद्दीन बनाम बैजू साह में पारित आदेश दिनांक 07.08.2015 के विरूद्ध दायर किया गया है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस पुनरीक्षण के माध्यम से निम्न न्यायालय उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के जमाबंदी सुधार वाद सं0–15 / 11–12 में पारित आदेश दिनांक 22.12.2012 एवं दिनांक 07.08.2015 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है और इसका आधार यह दिया गया है कि निम्न न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा है कि जमाबंदी का संशोधन उनके क्षेत्राधिकार की चीज है तथा निम्न न्यायालय ने उनके द्वारा पेश किये गये कागजात / साक्ष्य का ठीक ढंग से परिशीलन नहीं किया। उन्होंने यह भी आधार प्रस्तुत किया है कि अंचल अधिकारी, सोनो ने जमाबंदी सं0–53 को रद्द करते समय कोई सूचना निर्गत नहीं की थी और निम्न न्यायालय ने यह भी नहीं ध्यान रखा कि वर्ष 1960–61 (लम्बे समय से) चली आ रही जमांबदी को रद्द नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यह भी आधार रखा है कि निम्न न्यायालय ने दाखिल खारिज अपील सं0–15 / 84–85 के दूसरे अंचल से संबंधित होने के तथ्य को भी नकार दिया है साथ ही इस न्यायालय द्वारा दो बिन्दुओं पर जाँच करने हेतु इस वाद को **Remand** किया गया था, किन्तु निम्न न्यायालय ने उसकी जाँच भी नहीं की है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा निम्नांकित कागजात समर्पित किया गया :– 1. जमाबंदी सुधार वाद सं0–15 / 2011–12 मो0 कमरूद्दीन बनाम बैजू साह में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेश दिनांक 07.08.2015 की प्रतिलिपि, 2. जमाबंदी सुधार अपील वाद सं0–05 / 2013 मो0 कमरूद्दीन अंसारी बनाम ईनो साह में समाहर्त्ता, जमुई के आदेश दिनांक 26.08.2014 की प्रतिलिपि की छायाप्रति, 3. जमाबंदी सुधार वाद सं0–15 / 11–12 मो0 कमरूद्दीन बनाम बैजू साह में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेश दिनांक 22.12.12	

की प्रतिलिपि की छायाप्रति,

4. दाखिल खारिज अपील सं0–15/84–85 श्रीमति बीबी रसुलन बनाम मो0 अनवर अंसारी में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के आदेश दिनांक 25.03.85 की प्रतिलिपि की छायाप्रति,

5. अंचल कार्यालय, सिकन्दरा के दाखिल खारिज केस नं0–58/84–85 मो0 अनवर मियां वगैरह सा0–दरखा के आदेश–फलक दिनांक 2.4.84 से दिनांक 18.4.84 की प्रतिलिपि की छायाप्रति,

6. वाद सं0–267 एम/09 जीतेन्द्र साह बनाम कामो मियां धारा–144 द0प्र0सं0 मे अनुमंडल दण्डाधिकारी, जमुई के आदेश दिनांक 17.06.09 की प्रतिलिपि की छायाप्रति।

7. मालगुजारी रसीद सं0–193309 वर्ष–08–09, 0332170 वर्ष 2005–06, 062402 वर्ष 61–62 एवं 300779 वर्ष 60–61 की छायाप्रति,

8. होल्डिंग नं0–53 के रजिस्टर–II की प्रतिलिपि की छायाप्रति,

9. होल्डिंग नं0–98 के पंजी–2 की प्रतिलिपि की छायाप्रति,

10. मो0 इबराहीम के द्वारा वोदु मियां को किये गये केवाला सं0–3072 दिनांक 5.3.26 की प्रतिलिपि की छायाप्रति।

2. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जमाबंदी सुधार वाद सं0–15/11–12 मो0 कमरूद्दीन बनाम बैजू साह में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई का आदेश दिनांक 22.12.2012 एवं दिनांक 07.08.2015 विधि सम्मत है इसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्षी का यह भी कहना है कि ऐसा कोई साक्ष्य या प्रतिवेदन अभिलेख में नहीं है कि जमाबंदी सं0–98 मे कोई जमाबंदी को घटाकर जमीन जोड़ी गई है, बल्कि यह जमाबंदी पुरानी एवं पूर्ववत्त है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी यह अवधारित किया गया है कि पुरानी जमाबंदी में छेड़छाड़ करने का अधिकार राजस्व न्यायालय की नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता को अपने हकीयत की घोषण के लिए सक्षम न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए पुनरीक्षणकर्ता के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाय।

विपक्षी के द्वारा निम्नांकित कागजात समर्पित किया गया :–

1. सिकमी खाता सं0–24 के खतियान की प्रतिलिपि की छायाप्रति,

2. खाता सं0–72 के खतियान की प्रतिलिपि की छायाप्रति,

3. केवाला सं0–3072 दिनांक 5.7.26 की प्रतिलिपि की छायाप्रति,

4. केवाला सं0–3072 दिनांक 5.7.26 के हिन्दी रूपान्तरण की छायाप्रति,

5. विविध वाद सं0–19/70–71 में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनो को समर्पित तसफिया आवेदन दिनांक 26.3.72 के नकल की छायाप्रति एवं आदेश पत्र दिनांक 4.4.73 के नकल की छायाप्रति,

6. मालगुजारी रसीद सं0–311249 वर्ष 83–84, 0333006 वर्ष 2005–06, 828789 वर्ष 2008–09, 193461 वर्ष 2009–10, 002214 वर्ष 2010–11, 00790751 वर्ष 2013–14, 00617278 वर्ष 2015–16, 0145909

वर्ष 2016–17 एवं मालगुजारी रसीद वर्ष 97–98 की छायाप्रति।

3. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा इस न्यायालय एवं निम्न न्यायालय में दाखिल सभी कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं कागजातों के परिशीलन से निम्न तथ्य स्पष्ट होते है:-

1. पुनरीक्षणकर्ता की जमाबंदी सं0–53 पर धारित रकवा $1.61\frac{7}{8}$ एकड़ दर्ज है तथा जमाबंदी सं0–53 के कायम होने के संबंध में परिवर्तन कॉलम में कुछ नहीं लिखा हुआ है किन्तु इस जमाबंदी को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जमुई के वाद सं0–15/84–85 के आदेशानुसार यह जमाबंदी रद्द किया गया लिखा हुआ है। यह जमाबंदी बोदू मियां के नाम से थी। पुनरीक्षणकर्ता अपने आवेदन में कहते हैं कि इस जमाबंदी से वर्ष 2010 में 1.29 एकड़ जमीन जमाबंदी सं0–98 पर चली गई जबकि वहीं अंचल अधिकारी, सोनो के समक्ष दाखिल अपने आवेदन में कहते हैं कि यह परिवर्तन वर्ष 1997–98 में हुआ। उन्होंने यह भी कहा है कि विपक्षी वर्ष 2009 के पूर्व की लगान रसीद नहीं दिखा पाएगें किन्तु विपक्षी के जमाबंदी सं0–98 पर निर्गत विभिन्न लगान रसीद की छायाप्रतियाँ विपक्षी द्वारा दाखिल की गई है जो वर्ष 83–84, 97–98, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2013–14, 2015–16 और 2016–17 का इस न्यायालय में दाखिल किया गया है जिन सभी पर रकवा 2.58 एकड़ अंकित है वहीं विपक्षी द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष भी विभिन्न वर्षों के लगान रसीद दाखिल किये गये हैं जिसमें उपरोक्त वर्षों के अलावा वर्ष 1981–82 के रसीद की छायाप्रति भी दाखिल है जो इनो साह के नाम से है और जिसपर धारित रकवा 2.58 एकड़ है। इस प्रकार यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विपक्षी की जमाबंदी सं0–98 पुनरीक्षणकर्ता द्वारा वर्णित दोनों तिथियों यथा– 97–98 या 2010 दोनों से काफी पूर्व से (कम से कम वर्ष 81–82 से) चली आ रही है। इस प्रकार यह काफी लम्बे समय से चली आ रही जमाबंदी है।

2. जहाँ तक पुनरीक्षणकर्ता के जमाबंदी सं0–53 की बात है उनके द्वारा वर्ष 2005–06 एवं 2008–09 का लगान रसीद बनाम बोदो मियाँ जमाबंदी सं0–53 का इस न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है जिसपर धारित रकवा 1 एकड़ $61\frac{7}{8}$ डी0 है। इससे भी पुनरीक्षणकर्ता का अंचल अधिकारी, सोनो के समक्ष यह कथन कि उनकी जमाबंदी से 1 एकड़ 29 डी0 जमीन वर्ष 97–98 में घटा दी गई गलत है। उन्हीं के द्वारा वर्ष 1961–62 का भी एक लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल की गई है जिसपर धारित रकवा 1 एकड़ $61\frac{7}{8}$ डी0 है।

उपरोक्त दोनों तथ्यों के आलोक में दोनों प्रश्नगत जमाबंदियों के रकवे के संधोधन में कोई तालमेल स्थापित नहीं होता है, चूँकि अगर जमाबंदी सं0–53 रद्द की गई तो उसका मात्र 1 एकड़ 29 डी0 जमीन ही क्यों जमाबंदी सं0–98 पर गयी और शेष रकवा के संबंध में न आवेदक कुछ बताते हैं और न अंचल अधिकारी, सोनो के प्रतिवेदन में कुछ अंकित है।

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दाखिल वर्ष 2005–06 के लगान रसीद की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस एक लगान रसीद के माध्यम से वर्ष 58–59 से लेकर वर्ष 2005–06 तक का लगान एक मुश्त लिया गया है जो पुनरीक्षणकर्ता के अपने कथन की उनकी यह जमीन उनके दादा द्वारा मो0 इब्राहिम से क्रय द्वारा प्राप्त है और रसीद भी कट रही है के अनुरूप नहीं है। वहीं विपक्षी के नाम से वर्ष 81–82 से लगातार वर्षबार लगान रसीद निर्गत है।

उपरोक्त के आलोक में यह स्पष्ट है कि बिना पर्याप्त साक्ष्य के पुरानी जमाबंदी में संशोधन करना राजस्व न्यायालय के लिए उचित नहीं है वह भी तब जब पुनरीक्षणकर्ता वर्ष 1926 के तथाकथित केवाले के आधार पर भूमि पर दावा करते हैं एवं प्रथमबार उनके नाम से वर्ष 2005–06 में रसीद कटी है पुनरीक्षणकर्ता के लिए उचित यह होगा कि वे अपने स्वत्व की घोषणा हेतु व्यवहार न्यायालय की शरण में जायें, साथ ही अपर समाहर्त्ता, जमुई को यह आदेश दिया जाता है कि तथाकथित जमाबंदी सं0–53 में इतने लम्बे समय के बाद रसीद कटने के मामले की पूर्ण जाँच कराते हुए तथ्यात्मक प्रतिवेदन समाहर्त्ता, जमुई को प्रस्तुत करें। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। L.C.R. निम्न न्यायालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

9/9/16
समाहर्त्ता,
जमुई।

9/9/16
समाहर्त्ता,
जमुई।